भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4918
जिसका उत्तर मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

यूरो एनसीएपी परीक्षण

4918. श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय इस बात से अवगत है कि कुछ भारतीय कारें यूरो एनसीएपी (नई कार परीक्षण कार्यक्रम) परीक्षण में विफल रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय का भारतीय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): वैश्विक एनसीएपी ने दिल्ली में एक प्रस्तुतिकरण किया जिसमें उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि भारत में विनिर्मित कुछ कारें टक्कर परीक्षण के माध्यम से ऑफसेट टक्कर परीक्षण किए जाने पर सुरक्षित नहीं हैं।

(ग) और (घ): भारत के लिए एनसीएपी का सृजन करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 25.03.2014 को एक समिति का गठन किया गया है।

इस समिति की एक बैठक दिनांक 03.12.2014 को आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि:

i. परीक्षण सुविधाएं दिसंबर, 2015 तक पूरी तरह से तैयार होनी चाहिएं। भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी एसेसमेन्ट प्रोग्राम (बीएनवीएसएपी) चरण-I द्वारा इस समय-सीमा का पालन किया जाना है।
ii. टक्कर मानक एआईएस 098 और एआईएस 099 के अनुसार 01.10.2017 से नए वाहनों के लिए अनुपालन अनिवार्य होगा। मौजूदा वाहनों के मामले में यह 01.10.2019 से लागू होगा।

****